सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 183बी/2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. श्योजी पुत्र भूरा जाति माली निवासी मालियो का नयागांव तहसील सावर जिला अजमेर
2. गोपाल पुत्र भूरा जाति माली निवासी मालियो का नयागांव तहसील सावर जिला अजमेर
3. कैलाश पुत्र भूरा जाति माली निवासी मालियो का नयागांव तहसील सावर जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. हीरा पुत्र माधू जाति माली
2. गूदड पुत्र माधू जाति माली
3. रामनिवास पुत्र माधू जाति माली
4. रणजीत पुत्र घीसा जाति माली
5. घीसा पुत्र भोलू जाति माली
6. श्योजी पुत्र नन्दा जाति माली
7. भैरू पुत्र मिश्री जाति माली
8. कालू पुत्र नाथू जाति माली
9. श्रीनिवास पुत्र रामदयाल जाति ब्राम्हण
10. गोपाल पुत्र हीरा जाति माली
11. किशन पुत्र हीरा जाति माली
    समस्त निवासीगण मालियो का नयागाव तहसील सावर जिला अजमेर
12. तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–18.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सावर में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम नयागाव ग्राम पंचायत मेहरूकंला तहसील सावर के खाता स. 301 खसरा नम्बर 966,1030,1036 कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 हैक्ट. भूमि वादी नाम दर्ज खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है। प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजीयात के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का उक्त आराजीयात में पडोसी खातेदार है। प्रतिवादीगण आये दिन लडाई झगडा पर आमादा है तथा आराजी पर अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है। जिसके कारण वादीगण द्वारा स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट सावर में पेश हुई वादी/प्रतिवादी उपस्थित।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकारान को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके ग्राम नयागांव ग्राम पंचायत मेहरूकंला तहसील सावर के खाता स. 301 खसरा नम्बर 966,1030,1036 कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 हैक्ट. भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 18.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी